

सिमडेगा समाहरणालय, सिमडेगा।

(भू-अर्जन शाखा)

प्रपत्र VI

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

या

उपायुक्त या समुचित सरकार

प्रारम्भिक अधिसूचना का प्रारूप

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1)के अधीन)

अधिसूचना संख्या:-

दिनांक:-

चूँकि झारखण्ड सरकार/उपायुक्त सिमडेगा को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - गरजा , थाना न0 - 82, थाना - सिमडेगा, अंचल- सिमडेगा, जिला - सिमडेगा में भूमि, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना - सिमडेगा से सेवई - किनकेल - कुरडेग - कुटमाकच्छार - छत्तीसगढ़ सीमा पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (वर्ष 2009-10) में ली गई है। अधिघोषणा प्रकाशन की तिथि 26.11.10 ,रकबा मानक माप से कमोवेश - 8.98 एकड़ का पूर्व में अधिग्रहण की कार्रवाई पूर्ण कर आंशिक रूप से मुआवजा भुगतान कर दिया गया। छुटे हुए प्लॉटों का अधियाची विभाग के द्वारा मौजा-गरजा (अनुपूरक) हेतु अपेक्षित है। उक्त अधियाचना के आलोक में राज्य एस0आई0ए0 ईकाई सोशल एक्सन फोर रुरल डेवलपमेंट (SARDA) का छोटकी मुरम रामगढ़ कैंट जिला रामगढ़ द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार - संक्षेप यथा - निम्न है:- उक्त परियोजना के उद्देश्य एवं सार्वजनिक हित लाभ के लिये प्रभावित रैयतो की हितो की रक्षा मे शत् प्रतिशत मुआवजा भुगतान एवं जनसुनवाई के दौरान कुछ सार्वजनिक हितों के कार्यान्वयन हेतु अधियाची विभाग को विशेष प्रबंधन का सुझाव के साथ अधिग्रहण की कार्रवाई के लिए विशेषज्ञ समूह द्वारा SIA के अन्तिम प्रतिवेदन को समीक्षोपरान्त अनुमोदित की गई है। चूँकि यह परियोजना सिमडेगा से छत्तीसगढ़ तक जाने एवं तीन प्रखण्डो को जोड़नेवाली यह एक महत्वपूर्ण पथ है इस पथ के सुदृढ़ होने से सिमडेगा जिला के पश्चिमी हिस्से की एक बड़े आबादी इससे लाभान्वित हो रही है ,अपेक्षाकृत कम आबादी प्रभावित हो रही है। संबंधित क्षेत्र में सामाजिक, स्वास्थ्य, शैक्षणिक प्रगति अवश्यम्भावी है। इस बाध्यकारी विस्थापन का कारण नीचे दिया गया है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (I)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम - गरजा , थाना न0 - 82, थाना - सिमडेगा, अंचल- सिमडेगा, जिला - सिमडेगा में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 1.9475 एकड़ यानि 0.7881 हेक्टेयर मानक माप का भूखण्ड जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है-

क्रम संख्या	खाता सं0	सर्वे भूखण्ड सं0	स्वमित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल एकड़ में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	सीमा भूखण्ड संख्या				वृक्ष		संरचनाएँ	
							उ0	द0	पु0	प0	किस्म	संख्या	प्रकार	प्लिंथ एरिया sft.
1	2	2921	रैयती	परती कदीम	0.04	संतोष मिश्रा पिता गोपाल मिश्रा	सड़क	2921 अंश	रास्ता	रास्ता	—	—	मकान बाउन्ड्री	—
2	2	2921	रैयती	परती कदीम	0.03	नरेन्द्र प्रधान	सड़क	नीज	2122 का	रेंगारी	—	—	मकान	—

								अंश	अंश	रोड				
3	3	3009	रैयती	टाड़ 2	0.005	ओमप्रकाश प्रसाद पिता महेश प्रसाद	सड़क	नीज अंश	3008 का अंश	3011 का अंश	—	—	छज्जा	—
4	4/	2336	रैयती	टाड़ 2	0.095	विजय कुमार प्रसाद	नीज अंश	सड़क	आम रास्ता	2338 का अंश	—	—	मकान घेरा	—
5	7	3021	रैयती	दोन तीन	0.01	शीला देवी पति महेश्वर दास	सड़क	नीज अंश	2124 का अंश	3020 का अंश	—	—	—	—
6	9	3019	रैयती	दोन दो	0.14	विनोद पाहन	रास्ता	3019 अंश	3020	3012	—	—	—	—
7	73	2120	रैयती	टाड़ 3	0.16	दुपा उरांव	नीज अंश	सड़क	सीमाना	2126 का अंश	—	—	—	—
8	98	1891	रैयती	टाड़ 3	0.05	प्यारा डुंगडुंग पिता	सड़क	नीज अंश	1899 का अंश	1890 का अंश	—	—	—	—
9	98	1899	रैयती	दोन 2	0.11	प्यारा डुंगडुंग पिता	सड़क	नीज अंश	1900 का अंश	1890 का अंश	—	—	—	—
10	98	1887	रैयती	परती कदीम	0.08	इमानुएल डुंगडुंग वगै० पिता सामुएल डुंगडुंग	सड़क	सड़क	1630 का अंश	1884 का अंश	—	—	—	—
11	98	1888	रैयती	परती कदीम	0.06	इमानुएल डुंगडुंग वगै० पिता सामुएल डुंगडुंग	नीज अंश	सड़क	1829 का अंश	1884 का अंश	—	—	—	—
12	98	1890	रैयती	टाड़ तीन	0.07	इमानुएल डुंगडुंग	सड़क	नीज	1890 का अंश	1888 का अंश	—	—	—	—
13	142	1908	रैयती	टाड़ 2	0.08	विनय टेटे पिता मरकस टेटे	सड़क	नीज अंश	1907 का अंश	1904 का अंश	—	—	—	—
14	142	1904	रैयती	टाड़ 2	0.08	विनय टेटे पिता मरकस टेटे	सड़क	नीज अंश	1908 का अंश	1901 का अंश	—	—	—	—
15	142	1901	रैयती	टाड़ 2	0.04	पीटर वो अंजोर खडिया	सड़क	नीज अंश	1904 का अंश	1900 का अंश	—	—	—	—
16	142	2022	रैयती	टाड़ 2	0.10	जुहेल खडिया वो मरकस खडिया वो बेजामिन खडिया	नीज अंश	सड़क	सीमाना	2095 का अंश	—	—	—	—
17	142	1912	रैयती	टाड़ 2	0.13	जुहेल खडिया वो मरकस खडिया वो बेजामिन खडिया	सड़क	नीज अंश	1917 का अंश	1910 का अंश	—	—	—	—
18	214	2236	रैयती	जंगल झाड़ी	0.01	प्रीत सागर मिंज	नीज अंश	सड़क	2236 का अंश	2237 का अंश	—	—	मकान	—
19	214	2236	रैयती	जंगल झाड़ी	0.01	रामनिवास अग्रवाल	नीज अंश	सड़क	2236 का अंश	2236 का अंश	—	—	बाउन्ड्री	—
20	214	2236	रैयती	जंगल झाड़ी	0.01	रेणु देवी पती चन्द्रभूषण	नीज अंश	सड़क	2236का अंश	2236का अंश	—	—	बाउन्ड्री	—
21	214	2235	तलाब में शामिल	जंगल झाड़ी	0.15	तालाब में शामिल	नीज अंश	सड़क	2226 का अंश	2216 का अंश	—	—	—	—
22	214	2923	रैयती	परती कदीम	0.035	शरद प्रसाद	रास्ता	2922	2921	सड़क	—	—	—	—
23	214	3008	रैयती	फुलवारी	0.03	प्रमोद प्रसाद	सड़क	नीज	3008 का	3011	—	—	मकान	—

						पिता गौरी शंकर प्रसाद		अंश	अंश	का अंश				
24	214	2117	रैयती	परती कदीम	0.0025	शांती एल	सड़क	नीज अंश	2124 का अंश	2118 का अंश	—	—	मकान	—
25	214	1623	रैयती	परती कदीम	0.05	बसन्त टेटे पिता स्व0 सिलास टेटै	सड़क	नीज अंश	1622 का अंश	1626 का अंश	—	—	—	—
26	214	1900	रैयती	जंगल झाड़ी	0.03	प्यारा डुंगडुंग पिता	सड़क	नीज अंश	1901 का अंश	1899 का अंश	—	—	—	—
27	142	1820	रैयती	दोन 1	0.04	तेवफिल टेटे वगै0 पिता मरकस टेटे	सड़क	नीज अंश	1883 का अंश	1810 का अंश	—	—	—	—
28	214	3011	रैयती	जंगल झाड़ी	0.05	प्रमोद प्रसाद पिता गौरी शंकर प्रसाद	सड़क	3011 अंश	3012	3008 अंश	—	—	—	—
29	142	1910	रैयती	परती कदीम	0.06	विजय टेटे	1911 अंश	सड़क	सड़क	1912 अंश	—	—	—	—
30	142	1911	रैयती	टांड दो	0.07	पीटर वो अंजोर टेटे पिता जुऐल टेटे	1911 अंश	सड़क	सड़क	1910 अंश	—	—	—	—
31	142	1912	रैयती	टांड दो	0.12	संजय टेटे पिता इलयाजर	1912 अंश	सड़क	1910 अंश	1917	—	—	—	—
कुल रकबा					1.9475									

यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 अधिनियम संख्या-30/2013 की धारा -11 (1) के उपबधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/उपायुक्त सिमडेगा -सह- समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4)के अधीन कोई व्यक्ति उपायुक्त सिमडेगा के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा- 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार का आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

कानूनगो,
भू-अर्जन सिमडेगा।

भू-अर्जन पदाधिकारी,
सिमडेगा।

अपर समाहर्ता,
सिमडेगा।

उपायुक्त,
सिमडेगा।

सिमडेगा समाहरणालय, सिमडेगा।

(भू-अर्जन शाखा)

प्रपत्र VI

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू-अर्जन निदेशालय)

या

उपायुक्त या समुचित सरकार

प्रारम्भिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1)के अधीन)

अधिसूचना संख्या:-

दिनांक:-

चूँकि झारखण्ड सरकार/उपायुक्त सिमडेगा को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - गरजा , थाना न0 - 82, थाना - सिमडेगा, अंचल- सिमडेगा, जिला - सिमडेगा में भूमि, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना - सिमडेगा से सेवई - किनकेल - कुरडेग - कुटमाकच्छार - छत्तीसगढ़ सीमा पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण (वर्ष 2009-10) में ली गई है। अधिघोषणा प्रकाशन की तिथि 26.11.10 , रकबा मानक माप से कमोवेश - 8.98 एकड़ का पूर्व में अधिग्रहण की कार्रवाई पूर्ण कर आंशिक रूप से मुआवजा भुगतान कर दिया गया। छुटे हुए प्लॉटों का अधियाची विभाग के द्वारा मौजा-गरजा (अनुपूरक) हेतु अपेक्षित है। उक्त अधियाचना के आलोक में राज्य एस0आई0ए0 ईकाई सोशल एक्सन फोर रूरल डेवलपमेंट (SARDA) का छोटकी मुरम रामगढ़ कैंट जिला रामगढ़ द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार - संक्षेप यथा - निम्न है:- उक्त परियोजना के उद्देश्य एवं सार्वजनिक हित लाभ के लिये प्रभावित रैयतो की हितो की रक्षा मे शत् प्रतिशत मुआवजा भुगतान एवं जनसुनवाई के दौरान कुछ सार्वजनिक हितों के कार्यान्वयन हेतु अधियाची विभाग को विशेष प्रबंधन का सुझाव के साथ अधिग्रहण की कार्रवाई के लिए विशेषज्ञ समूह द्वारा SIA के अन्तिम प्रतिवेदन को समीक्षोपरान्त अनुमोदित की गई है। चूँकि यह परियोजना सिमडेगा से छत्तीसगढ़ तक जाने एवं तीन प्रखण्डो को जोड़नेवाली यह एक महत्वपूर्ण पथ है इस पथ के सुदृढ़ होने से सिमडेगा जिला के पश्चिमी हिस्से की एक बड़े आबादी इससे लाभान्वित हो रही है ,अपेक्षाकृत कम आबादी प्रभावित हो रही है। संबंधित क्षेत्र में सामाजिक, स्वास्थ्य, शैक्षणिक प्रगति अवश्यम्भावी है। इस बाध्यकारी विस्थापन का कारण नीचे दिया गया है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2 (I)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम - गरजा , थाना न0 - 82, थाना - सिमडेगा, अंचल- सिमडेगा, जिला - सिमडेगा में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 1.9475 एकड़ यानि 0.7881 हेक्टेयर मानक माप का भूखण्ड जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है-

क्रम संख्या	खाता सं0	सर्वे भूखण्ड सं0	स्वमित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल एकड़ में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम	सीमा भूखण्ड संख्या				वृक्ष		संरचनाएँ	
							उ0	द0	पु0	प0	किस्म	संख्या	प्रकार	प्लिंथ एरिया sft.
1	2	2921	रैयती	परती कदीम	0.04	संतोष मिश्रा पिता गोपाल मिश्रा	सड़क	2921 अंश	रास्ता	रास्ता	-	-	मकान बाउन्ड्री	-

2	2	2921	रैयती	परती कदीम	0.03	नरेन्द्र प्रधान	सड़क	नीज अंश	2122 का अंश	रैंगारी रोड	—	—	मकान	—
3	3	3009	रैयती	टाड़ 2	0.005	ओमप्रकाश प्रसाद पिता महेश प्रसाद	सड़क	नीज अंश	3008 का अंश	3011 का अंश	—	—	छज्जा	—
4	4/	2336	रैयती	टाड़ 2	0.095	विजय कुमार प्रसाद	नीज अंश	सड़क	आम रास्ता	2338 का अंश	—	—	मकान घेरा	—
5	7	3021	रैयती	दोन तीन	0.01	शीला देवी पति महेश्वर दास	सड़क	नीज अंश	2124 का अंश	3020 का अंश	—	—	—	—
6	9	3019	रैयती	दोन दो	0.14	विनोद पाहन	रास्ता	3019 अंश	3020	3012	—	—	—	—
7	73	2120	रैयती	टाड़ 3	0.16	दुपा उरांव	नीज अंश	सड़क	सीमाना	2126 का अंश	—	—	—	—
8	98	1891	रैयती	टाड़ 3	0.05	प्यारा डुंगडुंग पिता	सड़क	नीज अंश	1899 का अंश	1890 का अंश	—	—	—	—
9	98	1899	रैयती	दोन 2	0.11	प्यारा डुंगडुंग पिता	सड़क	नीज अंश	1900 का अंश	1890 का अंश	—	—	—	—
10	98	1887	रैयती	परती कदीम	0.08	इमानुएल डुंगडुंग वगै० पिता सामुएल डुंगडुंग	सड़क	सड़क	1630 का अंश	1884 का अंश	—	—	—	—
11	98	1888	रैयती	परती कदीम	0.06	इमानुएल डुंगडुंग वगै० पिता सामुएल डुंगडुंग	नीज अंश	सड़क	1829 का अंश	1884 का अंश	—	—	—	—
12	98	1890	रैयती	टाड़ तीन	0.07	इमानुएल डुंगडुंग	सड़क	नीज	1890 का अंश	1888 का अंश	—	—	—	—
13	142	1908	रैयती	टाड़ 2	0.08	विनय टेटे पिता मरकस टेटे	सड़क	नीज अंश	1907 का अंश	1904 का अंश	—	—	—	—
14	142	1904	रैयती	टाड़ 2	0.08	विनय टेटे पिता मरकस टेटे	सड़क	नीज अंश	1908 का अंश	1901 का अंश	—	—	—	—
15	142	1901	रैयती	टाड़ 2	0.04	पीटर वो अंजोर खड़िया	सड़क	नीज अंश	1904 का अंश	1900 का अंश	—	—	—	—
16	142	2022	रैयती	टाड़ 2	0.10	जुहेल खड़िया वो मरकस खड़िया वो बेजामिन खड़िया	नीज अंश	सड़क	सीमाना	2095 का अंश	—	—	—	—
17	142	1912	रैयती	टाड़ 2	0.13	जुहेल खड़िया वो मरकस खड़िया वो बेजामिन खड़िया	सड़क	नीज अंश	1917 का अंश	1910 का अंश	—	—	—	—
18	214	2236	रैयती	जंगल झाड़ी	0.01	प्रीत सागर मिंज	नीज अंश	सड़क	2236 का अंश	2237 का अंश	—	—	मकान	—
19	214	2236	रैयती	जंगल झाड़ी	0.01	रामनिवास अग्रवाल	नीज अंश	सड़क	2236 का अंश	2236 का अंश	—	—	बाउन्ट्री	—
20	214	2236	रैयती	जंगल झाड़ी	0.01	रेणु देवी पती चन्द्रभूषण	नीज अंश	सड़क	2236का अंश	2236का अंश	—	—	बाउन्ट्री	—
21	214	2235	तलाब में शामिल	जंगल झाड़ी	0.15	तालाब में शामिल	नीज अंश	सड़क	2226 का अंश	2216 का अंश	—	—	—	—
22	214	2923	रैयती	परती कदीम	0.035	शरद प्रसाद	रास्ता	2922	2921	सड़क	—	—	—	—

23	214	3008	रैयती	फुलवारी	0.03	प्रमोद प्रसाद पिता गौरी शंकर प्रसाद	सड़क	नीज अंश	3008 का अंश	3011 का अंश	—	—	मकान	—
24	214	2117	रैयती	परती कदीम	0.0025	शांती एल	सड़क	नीज अंश	2124 का अंश	2118 का अंश	—	—	मकान	—
25	214	1623	रैयती	परती कदीम	0.05	बसन्त टेटे पिता स्व0 सिलास टेटे	सड़क	नीज अंश	1622 का अंश	1626 का अंश	—	—	—	—
26	214	1900	रैयती	जंगल झाड़ी	0.03	प्यारा दुंगदुंग पिता	सड़क	नीज अंश	1901 का अंश	1899 का अंश	—	—	—	—
27	142	1820	रैयती	दोन 1	0.04	तेवफिल टेटे वगै0 पिता मरकस टेटे	सड़क	नीज अंश	1883 का अंश	1810 का अंश	—	—	—	—
28	214	3011	रैयती	जंगल झाड़ी	0.05	प्रमोद प्रसाद पिता गौरी शंकर प्रसाद	सड़क	3011 अंश	3012	3008 अंश	—	—	—	—
29	142	1910	रैयती	परती कदीम	0.06	विजय टेटे	1911 अंश	सड़क	सड़क	1912 अंश	—	—	—	—
30	142	1911	रैयती	टांड दो	0.07	पीटर वो अंजोर टेटे पिता जुएल टेटे	1911 अंश	सड़क	सड़क	1910 अंश	—	—	—	—
31	142	1912	रैयती	टांड दो	0.12	संजय टेटे पिता इलयाजर	1912 अंश	सड़क	1910 अंश	1917	—	—	—	—
कुल रकबा					1.9475									

यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 अधिनियम संख्या-30/2013 की धारा -11 (1) के उपबधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/उपायुक्त सिमडेगा -सह- समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टी करने किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4)के अधीन कोई व्यक्ति उपायुक्त सिमडेगा के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा- 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार का आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सिमडेगा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

उपायुक्त
सिमडेगा।

ज्ञापांक:—...../भू0अ0, दिनांक:—

प्रतिलिपि:— कार्यपालक अभियन्ता पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— वार्ड सदस्य/मुखिया – गरजा ,प्रखण्ड – सिमडेगा को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित। निदेश है कि पंचायत में अधिसूचना का प्रकाशन सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:— प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी सिमडेगा को सूचनार्थ एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि जिले के वेबसाईट पर उक्त अधिसूचना को अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:— जिला नजारत उप समाहर्ता सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि जिला गजट के अंक में अधिसूचना का प्रकाशन सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:— अनुमण्डल पदाधिकारी सिमडेगा को सूचनार्थ एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , जिला परिषद सिमडेगा को सूचनार्थ एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त
सिमडेगा।

ज्ञापांक:—...../भू0अ0, दिनांक:—

प्रतिलिपि:— जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि प्रचलित दो स्थानीय दैनिक सामाचार पत्रों में हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में यथाशीघ्र प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।

उपायुक्त
सिमडेगा।